राजस्थान सरकार

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर

(आयुष भवन, कमरा नं0 314—15, सेक्टर—26, प्रताप नगर, जयपुर—302033)

E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष नं–0141 2796295

क्रमांक : 2891 दिनांकः 03.03.2022

विज्ञप्ति

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिसफलिंग (संस्था फेरबदल), रिकाउंसलिंग एवं काउंसलिंग की सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2021—22 के प्रवेश हेतु ऑफलाईन **रिसफलिंग (संस्था फेरबदल), रिकाउंसलिंग एवं काउंसलिंग** परिषद् कार्यालय द्वारा आयुष भवन, सेक्टर—26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रिसफलिंग (संस्था फेरबदल), रिकाउंसलिंग एवं काउंसलिंग
1	डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मेसी (DAN&P)	दिनांक 10.03.2022 1. पूर्व दिनांक 14.02.2022 से 18.02.2022 तक आयोजित काउसंलिंग में प्रवेशित छात्रों की रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक 2. पूर्व दिनांक 14.02.2022 से 18.02.2022 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग, दोपहर 2 से 6 बजे तक
		दिनांक 11.03.2022 निर्धारित तिथि (10.11.2021) के उपरान्त प्राप्त आवेदन वाले अभ्यर्थियों एवं नवीन इच्छुक अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु काउंसलिंग

1. काउंसलिंग एवं रिकाउंसलिंग में भाग लेने हेतु 10,000/—रूपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जो **"रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर"** के नाम देय हो, साथ लाना आवश्यक होगा या नकद राशि 10,000/—रूपये, आवेदन के साथ प्रस्तुत करे। **प्रवेश लेने के बाद यह शुल्क रिफन्डेबल नहीं होगा।**
2. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज मय छांया प्रति साथ लाने होगें।
3. आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार स्वीकार्य होगा।
5. आवेदन फार्म व अन्य सूचना निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान—अजमेर की वेबसाईट http://ayurved.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. नवीन इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवेदन के साथ, एस.सी./एस.टी. छात्र, 600/—रूपये का, अन्य छात्र 1200/—रूपये का डी.डी. **"रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम देय होगा, साथ में लाना अनिवार्य है/नकद राशि भी स्वीकार्य होगी।**

(रजिस्ट्रार)

<u>फीस के नियम</u>

<u>यह सहमति पत्र भरकर मूल प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा</u>

1. काउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को **"रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम** 10,000 / रूपये (अक्षरेः दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जावेगी।
2. प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 15, मार्च 2022 तक सम्बंधित आयुर्वेद नर्सिंग संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000 / – की राशि पुनः नहीं लौटायी जायेगी।
3. यदि किसी भी छात्र / छात्रा द्वारा काउंसलिंग के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / प्रशिक्षण केन्द्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी आवेदन निरस्त कराया जाता है तो परिषद् कार्यालय में जमा कराई गई राशि रुपये 10,000 / –में से कोई भी भाग संम्बधित को नहीं लौटाया जायेगा।
4. प्रवेश हेतु कॉलेज आंवटित करने के बाद अभ्यर्थी को उपरोक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित आवंटित नर्सिंग सेन्टर में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा तथा शेष फीस आवंटित नर्सिंग सेन्टर में जमा करवाना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्था में प्रवेश सुनिश्चित् नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. राजकीय आयुर्वेद नर्स / कम्पा. प्राशिक्षण केन्द्र, अजमेर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्था में अपना प्रवेश सुनिश्चित् कराने हेतु काउंसलिंग के समय परिषद् में अग्रिम के तौर पर जमा राशि 10,000 / –(अक्षरे–दस हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त संस्था का निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

<u>घोषणा</u>

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री.. घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने फीस जमा कराने एवं लौटाने सम्बन्धी उपरोक्त नियमों को पूर्णतया पढ़ लिये हैं तथा मैं इनका पालन करने के लिये सहमत हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

(नाम...)

(वरियता क्रमांक व रजिस्ट्रेशन न.........................)